आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई मध्य
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST & CENTRAL EXCISE, MUMBAI CENTRAL
वस्तु एवं सेवा कर भवन, 115, महर्षि कर्वे मार्ग,
GST BHAVAN, 115, MAHARSHI KARVE ROAD,
चर्चगेट स्टेशन के सामने, मुम्बई 400020
OPP. CHURCHGATE STATION, MUMBAI 400 020

सत्यमेव जयते

राष्ट्र कर बाज़ार

फा.सं.II/39-हिन्दी(18)/2021 /74
दिनांक -22.04.2025

सेवा में ,
उप आयुक्त (राजभाषा)
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क
मुंबई जोन

महोदय/महोदया ,

विषय : "ख"क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में त्रिभाषा के प्रयोग की अनुपालन रिपोर्ट ।

कृपया आपके कार्यालय के दिनांक 08.04.2025 के पत्र फा.सं;-GCCO/10/2025/LEGAL का जिसमे मद संख्या 3.2 में राजभाषा नियम 11के तहत की गई अनुपालनात्मक कार्यवाही की जानकारी प्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

हमारे कार्यालय में अभी जनता की सूचना के प्रयोग में आने वाले सभी नामपपट्ट ,सूचना बोर्ड इत्यादि द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में थें,जिन्हे आपके इस पत्र की प्राप्ति के पश्चात त्रिभाषा में अर्थात मराठी भाषा हिन्दी भाषा और अंग्रेजी भाषा में क्रमवार तथा एकसमान आकार में मुद्रित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही आरंभ हो चुकी है ,जिससे की भविष्य में राजभाषा नियम 11 का अनुपालन हो सके तथा जनता के प्रयोग में आने वाले सभी नामपट्ट एवं सूचना सूचनापट्ट त्रिभाषा में अर्थात मराठी ,हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में एक आकार में मुद्रित किए जा सकें ।

यह पत्र अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुंबई मध्य के अनुमोदन के पश्चात जारी किया जा रहा है।

सादर धन्यवाद

भवदीय
संजय प्रजापति 24-4-2025
संजय प्रजापति
सहायक आयुक्त (राजभाषा)

O/C

प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय/जीएसटी एवं के.उ. शुल्क
Office of the Principal Chief Commissioner/GST & C.Ex.
24 APR 2025
Mumbai Zone
मुंबई क्षेत्र

क्रम संख्या	अधीनस्थ कार्यालय का नाम एवं पता	त्रिभाषा नियम का अनुपालन हो रहा है (हाँ / नहीं)	यदि नहीं हो रहा है तो उसके कारण (संक्षिप्त में)
1	आयुक्त का कार्यालय ,केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,मुंबई मध्य OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST &CENTRAL EXCISE, MUMBAI CENTRAL वस्तु एवं सेवा कर भवन,115, महर्षि कर्वे मार्ग, GST BHAWAN,115,MAHARISHI KARVE ROAD, चर्चगेट स्टेशन के सामने, मुंबई 400020 OPP. CHURCHGATE STATION, MUMBAI-400020	नहीं	कार्यालय के सभी ऐसे बोर्ड व नामपट्ठ जो जनता की सूचना के लिए लगाए गए हैं वे सभी राजभाषा नियम 1976 के तहत केवल द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में बनवाए गए थे। **राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित ,1987 ,2007,तथा 2011)** नियम 11(3)-केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ठ सूचनापट्,पत्रशीर्ष और लिफ़ाफ़ों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री के अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी ,मुद्रित यस उत्कीर्ण होंगी; परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह,साधारण या विशेष आदेश द्वारा ,केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्ही उपबंधो से छूट दे सकती है । *प्रधान मुख्य आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त पत्र (फ़ा.सं:GCCO/10/2025/LEGAL) तथा सहायक आयुक्त (राजभाषा) से प्राप्त पत्र की प्रति के बाद हमारा कार्यालय उक्त सूचना बोर्ड ,नामपट्ट आदि को त्रिभाषा में क्रमवार तरीके से और एक समान आकार में मुद्रित करने की दिशा में कार्यरत हैं ।

अधिकारी का नाम : S.J.Prajapati 24.4.2025

पदनाम : एस. जे. प्रजापति S. J. Prajapati सहायक आयुक्त Assistant Commissioner

मोहर सहित हस्ताक्षर :

त्रिभाषा नियम : जनता की सूचना के प्रयोग में आने वाले सभी नामपट्ट, सूचना बोर्ड इत्यादि क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी भाषा एवं अँग्रेजी भाषा के क्रम में एवं समान आकार में मुद्रित कराये जाएँ ।